

सफल हिंदू समाज ने रैली निकालकर सौंपे ज्ञापन

राज्य सरकार ने आर्ट ऑफ लिविंग के साथ किया एमओयू

06 जून को ईद की पूर्व रात्रि में मवेशियों से भरे दो ट्रकों को लेकर हुआ था विवाद

500 से अधिक लोगों ने अजय मालवीय से अधिक लोगों ने अजय मालवीय पर किया था हमला

04 हजार से अधिक लोगों ने रैली में हिस्सा लिया

मौब लिविंग की घटना में 500 से अधिक हथियारबंद मुस्लिम युवकों की भीड़ का नेतृत्व करने वाले सोहेल खान और असलम पटान (307, बलवा, दंगा भड़काना आदि) में केस दर्ज कर तुरंत गिरफ्तारी की मांग की गई है ! घटना में शामिल अन्य अपराधियों की पहचान कर उन पर भी समान धाराओं में कार्रवाई की जाए. आरोपियों पर एससी/एसटी एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज किया जाए. आरोप है कि पुलिस ने आरोपियों की सहमति से हल्की धारा (151) लगाई, इसकी उच्चस्तरीय जांच कर जिम्मेदार पुलिस अधिकारी को पद से हटाने की मांग की गई है.

► गौधन संवर्धन और नशामुक्ति के लिए करेंगे काम

प्रशासनिक संवाददाता भोपाल, 1 जुलाई. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में प्रदेश के योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग और आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के व्यक्तित्व विकास केंद्र के बीच मंत्रालय में एमओयू का आदान-प्रदान हुआ.

इस साझेदारी के तहत दोनों संस्थान जल संरक्षण, सतत कृषि और ग्रामीण आजीविका सृजन,

ग्राम विकास, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण, गौधन संवर्धन, नशामुक्ति, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग करेंगे. यह समझौता सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में राज्य सरकार की पहलों को सशक्त करने, पीपीपी मॉडल को बढ़ावा देने, नीतिगत निर्णयों में सहयोग, योजनाओं के प्रभावी मूल्यांकन और व्यापक सर्वेक्षण के माध्यम से प्रदेश की दीर्घकालिक विकास योजना विजन 2047 के लक्ष्यों को पूर्ण करने में सहायक होगा.

यह वरिष्ठ अधिकारी रहे उपस्थित मुख्यमंत्री डॉ. यादव की उपस्थिति में हुए समझौता पत्र के आदान-प्रदान के अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी संजय शुक्ला, मप्र राज्य नीति आयोग के ऋषि गर्ग, आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के रोहन जैन, अजित भास्कर तथा अन्य प्रतिनिधि मौजूद थे. पद्म विभूषण श्री श्री रविशंकर द्वारा स्थापित आर्ट ऑफ लिविंग संस्था समग्र विकास सहित क्षमता विकास के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य कर रही है.

हमलावरों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की

मंडीदीप, 1 जुलाई. मंडीदीप नगर में 6 जून को ईद की पूर्व रात्रि में मवेशियों से भरे दो ट्रकों को रोकने को लेकर विवाद हुआ. आरोप है कि 500 से अधिक लोगों ने हिंदू युवक अजय मालवीय पर हमला किया. इस हमले में अजय गंभीर रूप से घायल हो गया.

इस घटना के विरोध में मंगलवार को सकल हिंदू समाज ने जन आक्रोश रैली निकाली. रैली में 4 हजार से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया. लोग पहले गुल्ला मंडी परिषद में एकत्रित हुए. वहां से वे संगठित होकर थाने की ओर निकले. विधायक सुरेंद्र पटवा के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने गृहमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में आरोपियों पर धाराएं बढ़ाने की मांग की गई है. साथ ही अवैध अतिक्रमण हटाने, गोरक्षकों पर



दर्ज झूठे मुकदमे वापस लेने और पुलिस अधिकारियों की भूमिका की उच्चस्तरीय जांच की मांग की गई है.

मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री उप मुख्यमंत्री और मंत्री भी बने प्रस्तावक

► राष्ट्रीय परिषद के 44 सदस्यों के लिए नामांकन पत्र जमा

प्रशासनिक संवाददाता भोपाल, 1 जुलाई. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पार्टी के वरिष्ठ नेता व विधायक हेमंत खडेलवाल का प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए नामांकन-पत्र जमा कराया.

मुख्यमंत्री के अलावा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद वीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीरेंद्र कुमार, सावित्री ठाकुर, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, राजेन्द्र शुक्ल, मंत्री राकेश सिंह, प्रहलाद सिंह पटेल एवं कैलाश विजयवर्गीय की ओर से पूर्व

विधायक यशपाल सिंह सिंघाणिया, विधायक हेमंत खडेलवाल के प्रस्तावक बने. नामांकन पत्र की जांच और नाम वापसी के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र की अंतिम सूची जारी कर दी गई है. प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए एक नाम होने के कारण मतदान की स्थिति नहीं बनी है. निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार परिणाम की घोषणा दो जुलाई बुधवार को सुबह 11 बजे प्रदेश कार्यालय में की जाएगी. इस दौरान राष्ट्रीय परिषद के 44 सदस्यों के निर्वाचन के लिए भी आज नामांकन पत्र जमा किए गए हैं. राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के निर्वाचन की घोषणा भी दो जुलाई को की जाएगी.

भाजपा राष्ट्रीय परिषद के लिये जिन लोगों ने नामांकन भरे हैं, उनमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, शिवराजसिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीडी शर्मा, वीरेंद्र खटीक, जगदीश देवड़ा, राजेन्द्र शुक्ल, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, सावित्री ठाकुर, डीडी उडके, फगन सिंह कुलस्ते, लाल सिंह आर्य, सत्य नारायण जाटिया, ओमप्रकाश धूर्त, जयभान सिंह पटैया, हिमाद्रि सिंह, भारती पारधी, इंदर सिंह परमार, सुधीर गुप्ता, गणेश सिंह, नीना वर्मा, कांतदेव सिंह, गोपाल भार्गव, आलोक संजर, उमाशंकर गुप्ता, कमल पटेल भी शामिल हैं.

कार्यशाला आज से

भोपाल, 1 जुलाई. खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा 2 दिवसीय कार्यशाला 2-3 जुलाई को पलाश रेसिडेंसी में आयोजित की जा रही है. प्रशिक्षण में खाद्य विभाग, मप्र स्टेट सिविल सप्लाइज कॉरपोरेशन एवं मप्र वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन के जिले एवं प्रदेश के अधिकारी और कर्मचारी सहभागिता करेंगे. कार्यशाला में अपर मुख्य सचिव खाद्य नागरिक वार्मा मार्गदर्शन दंगे, कार्यशाला का उद्देश्य अधिकारियों/कर्मचारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि, उन्हें नवीनतम नियमों, नीतियों, नवाचार, कार्यप्रणालियों की जानकारी देना है.

मंत्री के खिलाफ जांच के आदेश से सीएम नाराज

हो सकती है कड़ी कार्रवाई सीएम ने दिये संकेत

कहा, मंत्रियों की गरिमा से कोई समझौता नहीं

प्रशासनिक संवाददाता भोपाल, 1 जुलाई. प्रदेश की लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपतिया उड़के पर लगे आरोपों की जांच कराने के आदेश का मामला गरमा गया है. मंगलवार को कैबिनेट में यह मुद्दा उठा. अनौपचारिक कैबिनेट के दौरान ये मामला स्वयं पीएचई मंत्री ने उठाया. उनका साथ दूसरे मंत्रियों ने भी दिया और नियम-प्रक्रिया का हवाला देकर मंत्री के खिलाफ जांच के आदेश देने के निर्णय को मंत्री और कैबिनेट के लिये अपमानजनक बताया. इस



पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मुख्यमंत्री की अनुमति के बगैर किसी मंत्री की जांच करने के आदेश जारी करने पर नाराजगी जाहिर करते हुए दोषी अफसरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के संकेत दिये. उन्होंने कहा कि मंत्रियों की गरिमा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा, हम इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त नहीं करेंगे. बताया जा रहा है कि आरोप लगाने वाले पूर्व विधायक किशोर समरीते के ट्रैक रिकॉर्ड पर भी कैबिनेट में चर्चा की गई.

जांच बैटाने वाले के खिलाफ कार्रवाई होगी

कैबिनेट ड्रीमिंग के दौरान उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने भी जांच के आदेश देने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही. उन्होंने कहा कि अपने ही विभाग की मंत्री के खिलाफ जांच बैटाने वाले पीएचई विभाग के प्रमुख अभियंता के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

क्या है मामला

पूर्व विधायक किशोर समरीते ने पीएचई विभाग की मंत्री संपतिया उड़के पर एक हजार करोड़ रुपए का कमीशन लेने का आरोप लगा दिया था. इस मामले में उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय को जांच के लिये शिकायती पत्र भी दिया था, जिसके बाद पीएमओ ने इस मामले में रिपोर्ट मांगी थी. इसके बाद पीएचई के ईएनसी संजय अंबवान ने मंत्री के खिलाफ जांच के आदेश दे दिये थे.

मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है. संपतिया उड़के

इससे पहले संपतिया उड़के ने अपने निवास पर मीडिया से उन पर लगे आरोपों को लेकर चर्चा करते हुए कहा कि वे पूरी तरह सही हैं. सांच को आंच नहीं. जिस तरह से भी जांच करें. संपतिया ने कहा कि जिस तरह से मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, वह मुख्यमंत्री को पता है.

प्रबंध संचालक ने विद्युत व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर दिए जरूरी निर्देश

भोपाल. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने भोपाल शहर अंतर्गत विद्युत संबंध प्रबंध संचालक क्षितिज सिंघल ने मंगलवार को राजधानी भोपाल के साकेत नगर तथा बरखेड़ा पठानी क्षेत्रों में निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने उपभोक्ता हितों में किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली तथा रखरखाव कार्य को समय पर करने के निर्देश दिए. प्रबंध संचालक सिंघल ने विद्युत हानि कम करने तथा बारिश के दौरान होने वाले विद्युत व्यवधान को लेकर अधिकारियों से चर्चा की तथा उपभोक्ताओं की शिकायतों का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए.

उन्होंने उपभोक्ताओं की सुविधा को देखते हुए पयूज ऑफ कॉल (विद्युत अजरोब को दूर करना) समय पर अटेंड करने के निर्देश दिए हैं. प्रबंध संचालक ने कहा है कि कंपनी के समस्त मैदानी अधिकारी अथवा कार्मिक अपने मोबाइल फोन को 24 घंटे चालू रखें और उपभोक्ताओं के आने वाले फोन अटेंड करें. बिजली उपभोक्ताओं को किसी तरह की परेशानी न हो.

हर बच्ची के खाते में 500 रुपए डालेंगे केंद्रीयमंत्री सिंधिया

ग्वालियर, 1 जुलाई. केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बच्चियों के उज्वल भविष्य और आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से महत्वपूर्ण पहल की है.

सिंधिया ने बच्चियों के उज्वल भविष्य और आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से महत्वपूर्ण पहल की है. उन्होंने गुना

सुकन्याओं के परिजनों को सिंधिया ने पासबुक सौंपी. इस मौके पर उन्होंने एक साल तक जन्म लेने वाली प्रत्येक बालिका के लिए भी खाते खुलवाने का ऐलान किया. केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि 1 मई 2025 से 1 मई 2026 तक जन्म लेने वाली गुना जिले के हर कन्या के खाते में वे 500 रुपए अपनी तरफ से डालेंगे.

सुकन्या समृद्धि योजना में 1 मई 2025 से 15 जून 2025 तक सिंधिया के निजी खर्च से गुना में 222, अशोकनगर में 274 और शिवपुरी में 390 खाते खुले हैं. इस प्रकार सिंधिया ने इन 45 दिनों में कुल 886 बच्चियों के खाते खुलवाए. उन्होंने इस अवधि में साढ़े चार लाख रुपए खातों में डाले हैं.

जनसुनवाई में 20 आवेदकों ने लगाई न्याय की गुहार

बैरसिया, 1 जुलाई. खंड स्तरीय जनसुनवाई मंगलवार को एसडीएम आशुतोष गोस्वामी की उपस्थिति में तहसील कार्यालय के सभागार में हुई, जहां 20 आवेदकों ने अपनी समस्याओं के निराकरण की गुहार लगाई.

ग्राम पंचायत इमलिया नरेंद्र के सरपंच राघवेंद्र सिंह गुर्जर व सचिव ने एसडीएम आशुतोष शर्मा को आवेदन देते हुए कहा कि जनसुनवाई में ये हमारा तीसरा आवेदन है. इसके पहले तहसीलदार करुणा दंडोतिया को दो बार आवेदन दे चुके हैं कि ग्राम पंचायत के पंचायत भवन के सामने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर मकान ताने

अतिक्रमण नहीं हटाने पर भड़के एसडीएम



जा रहे हैं. पंचायत के उक्त स्थान पर खेल मैदान का निर्माण प्रस्तावित है. ग्राम पंचायत इस शासकीय भूमि पर अवैध मकान निर्माण कार्य प्रारंभ से लेकर आज तक तहसीलदार दंडोतिया आज कल बता अतिक्रमण हटाने का सिर्फ आपवासन देती रहीं हैं. उन्होंने सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने की दिशा में आज तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की.

जनप्रतिनिधि सरपंच की बात सुन एसडीएम ने नाराजगी जाहिर की और तुरंत तहसीलदार और हल्का पटवारी को निर्देश दिया कि वे मौके पर जाएं और शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराएं. जनसुनवाई में 6 आवेदकों की शिकायतों का एसडीएम ने मौके पर तुरंत निराकरण किया. अन्य आवेदकों को सम्बंधित विभागों को भेज समय सीमा में निराकरण करने के अधिकारियों को निर्देश दिए. जनसुनवाई में हरखेड़ा सर्किल तहसीलदार पीपी गोस्वामी सहित कई विभाग प्रमुख मौजूद रहे.


ई-केवायसी का मामला शेष हितग्राहियों की ई-केवायसी कराने विशेष अभियान 15 जुलाई तक

खाद्य मंत्री राजपूत ने दिए अधिकारियों को निर्देश

भोपाल, 1 जुलाई. खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत सम्मिलित पात्र हितग्राहियों को पहचान सुनिश्चित कर वास्तविक हितग्राहियों को राशन वितरण करने के लिये हितग्राहियों की ई-केवायसी करने की प्रक्रिया जारी है.

उन्होंने बताया है कि शेष हितग्राहियों की ई-केवायसी कराने तथा मृत तथा अपात्र एवं अस्तित्वहीन हितग्राहियों का मौके पर सत्यापन के बाद उनका नाम

हटाने के लिये 1 से 15 जुलाई तक विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिये गये हैं. गौरतलब है कि अभी तक कुल पात्र हितग्राही 5 करोड़ 32 लाख 42 हजार में से 4 करोड़ 75 लाख 66 हजार हितग्राहियों के ई-केवायसी किये जा चुके हैं. इनमें 2 लाख 36 हजार हितग्राहियों के नाम विलोपित किये गये हैं. इनमें से 54 लाख 40 हजार की ई-केवायसी किया जाना शेष है. भारत सरकार द्वारा निर्धारित समय-सीमा में ई-केवायसी कराने के लिये जून माह में ई-केवायसी से शेष परिवारों को ई-केवायसी के बाद राशन वितरण



की व्यवस्था की गई है. ई-केवायसी से शेष हितग्राहियों का घर-घर जाकर सत्यापन करने के लिये वार्ड प्रभारी/पंचायत सचिव/रोजगार सहायक की द्यूटी लगाने के निर्देश कलेक्टर को दिये गये हैं. ई-केवायसी से शेष हितग्राहियों की सूची उचित मूल्य दुकान/ग्राम पंचायत/वार्ड

कार्यालय पर चप्पा की जाएगी. मौके पर उपलब्ध एवं पात्र हितग्राहियों को उचित मूल्य दुकान पर जाकर अथवा मेरा राशन एप पर फ्लैटिकेशन के माध्यम से ई-केवायसी करने के

लिये अवगत कराने और हितग्राही के आधार नंबर में दर्ज नाम, मोबाइल नंबर वृत्तिपूर्ण होने एवं बायोमेट्रिक डाटा अपडेट न होने पर आधार केम्प में जाकर डाटा अपडेट कराने के निर्देश दिये हैं.

कार्यालय नगर पालिक निगम, भोपाल, जोन क्र. -08, यांत्रिक विभाग

निविदा आमंत्रण घोषणा-पत्र

भोपाल दिनांक 30-6-2025

क्र. 72/मं. वि. /2025

निम्नलिखित निर्माण कार्य हेतु दो लिफाफा पद्धति के अनुसार म. प्र. लोक निर्माण विभाग में केंद्रीकृत व्यवस्था के अंतर्गत पंजीकृत ठेकेदारों से परसेटेटेड मोडर्नइड निविदाएं निवारित पत्र पर ऑनलाइन आमंत्रित की जाती हैं.

S. No.	Tender ID	Name of Work	Probable Amount Of Contract (Rs. in Lakh)	Earnest Money Deposit (EMD) (in Rs.)	Cost of bid Document (in Rs.)	Period of Completion (in Months)	SOR
1.	2025_UAD_433396_1	Construction of CC Road Near I Type Block No. 106 Ki Basti/Shivaji Nagar W-46, Z-08	838431/-	8384/-	2000/-	02 Months	MPUADD Road 2021

1. Interested bidders can view the NIT on website <https://www.mptenders.gov.in/>. 2. The Bid Document can be purchased only online from 10:30 A.M. (time) 27.6.2025 (date) to 17:30 P.M. (time) 14.07.2025 (date) 3. Amendments to NIT, if any, would be published on website <https://www.mptenders.gov.in/> only, and not in newspaper. 4. The initial period of 05 (Five) year after completion shall be treated as Defect Liability Period (DLP).

Assistant Engineer
मि.क्र. 1881/025/026
Zone-08, Municipal Corporation Bhopal, District Bhopal